तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अह... हुक्... में जा...
15-11-17	पत्रावली पेश हुई वकील पार्टी उपस्थित आदेश निर्णय सुनाया गया विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी

दावा सं. 7/दावा/15 पीठासीन अधिकारी – गरिमा लाम्बा R.A.S.

दायरा दिनांक 23.2.15

उनवान

1. रामगोपाल बैरवा आयु 60 वर्ष आत्मज श्री सम्पतलाल जाति बैरवा निवासी चर्च के पास, लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान

2. रामदुलारी आयु 62 वर्ष पुत्री श्री सम्पतलाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी हाल जयपुर

3. हंसराज आयु 58 वर्ष आत्मज श्री सम्पत लाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी

4. रणजीत कुमार आयु 54 वर्ष आत्मज श्री सम्पत लाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी

5. दशरथ लाल आयु 61 वर्ष आत्मज श्री किशोर लाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी

6. देवानन्द आयु 58 वर्ष आत्मज श्री किशोरीलाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी

7. हरिप्रसाद आयु 55 वर्ष आत्मज श्री किशोरीलाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी

8. राजेन्द्र प्रसाद आयु 43 वर्ष आत्मज श्री किशोरीलाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी

वादीगण

बनाम

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः...

1. छोटूलाल आयु 45 वर्ष आत्मज श्री ग्यारसीलाल जाति माली
निवासी लाखेरी
2. चान्दूलाल आयु 40 वर्ष आत्मज श्री ग्यारसीलाल जाति माली
निवासी लाखेरी
3. उदयभान आयु 38 वर्ष आत्मज श्री रतनसिंह जाति राजपूत
निवासी सरस्वती कॉलोनी, कोटा
4. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार साहब, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान

—प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट व धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय   दिनांक 15.11.17

वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर टी एक्ट व धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर वाद पत्र में कथन किया कि खाता सं. नये 471 पुराने 455 के खसरा सं. 2652 रकबा 0.03 है. खसरा सं. 2653 रकबा 0.30 है. खसरा सं. 2657 रकबा 0.26 है. खसरा सं. 2660/2 रकबा 0.09 है. खसरा सं. 2662 रकबा 0.02 है, कुल किता 5 कुल रकबा 0.70 है भूमि वाके कस्बा लाखेरी पटवार क्षेत्र लाखेरी में स्थित है। वाद वर्णित भूमि दिनांक 30.09.1964 को मिसल नं. 317 अलोटमेंट कमेटी ने वादीगण के दादा धासी आत्मज भूरा जाति चमार निवासी बॉटम लेवल लाखेरी को 6 बीघा भूमि लगान व पेनल्टी वसूल कर खाते में दर्ज कर

क्रमशः...

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

जिसकी जमाबंदी नामान्तकरण पंजिका वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादीगण के दादा के नाम पासबुक 8.8.1971 को जारी की जिसमे वादीगण के दादा के नाम 6 बीघा जमीन अंकित होना व जमाबंदी सम्वत् 2021 से 2024 की जमाबंदी में भी 6 बीघा अंकि है। तभी से घासीलाल उनके जीवनकाल तक तथा मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र सम्पतलाल व किशोरीलाल काबिज है तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त आज तक वादीगण उक्त 6 बीघा भूमि पर काबिज है।

भूप्रबन्ध रिकार्ड 2022-2024 मे वादीगण की भूमि 6 बीघा के स्थान पर साढे चार बीघा रह गई जबकि राजस्व दस्तावेजो मैं राजस्व विभाग द्वारा भूमि कम करने का कारण कहीं भी इंद्राज नहीं किया गया है। मौके पर वादीगण 6 बीघा भूमि पर काबिज है। वादीगण की भूमि के अंतिम छोर पर नाले के समीप वादीगण के दादा घासी ने अपने कुल देवता का मंदिर भी बना रखा है। जहां पर वादीगण नित्य दियाबत्ती निरन्तर व निर्बाध रूप से करते चले आ रहे है। वादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है। प्रतिवादीगण 1 लगा 3 आये दिन वादीगण को परेशान कर रहे है व वादी की कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमदा है। प्रतिवादीगण 1 लगा 3 वादीगण को उनकी भूमि से जबरन कब्जा करना चाहते है वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे अपने स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि की रक्षा करे व प्रतिवादीगण 1 लगा 3 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे की वे वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि पर न तो स्वयं कब्जे करे व न अन्य किसी प्रतिनिधि व एजेंट आदि से करवावे।

वादी गण ने वादपत्र में अन्त में प्रार्थना कि कि प्रतिवादीगण 1 लगा 3 वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर न तो स्वयं कब्जा करे न ही

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः....

अपने किसी प्रतिनिधि व एजेंट से करवावे। वादीगण के राजस्व रिकार्ड में 6 बीघा भूमि के स्थान पर साढे चार बीघा का गलत अंकन दुरुस्त करवावे व स्वामित्व व कब्जे के आधार पर डेढ बीघा भूमि के अधिकार की घोषणा करवावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब किया गया। बाद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी।

वादीगण ने वादपत्र के समर्थन मे नामान्तकरण सं. 410 जो कि प्रदर्श 1 है, नामान्तकरण रजिस्टर पंजिका ग्राम लाखेरी प्रदर्श 2, नामान्तकरण पंजिका सं. 685 पेश की जो प्रदर्श 3 है, नक्शा ट्रेस सन् 1962 प्रदर्श 4 है, मिलान क्षेत्रफल 1995 से 2015 जो प्रदर्श 5 है। जमाबंदी सम्वत् 2021 से 2024 प्रदर्श 6 है, असल पासबुक प्रदर्श 7 है जमाबंदी सम्वत् 2064-2067 प्रदर्श 8, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2069 प्रदर्श 9 पेश किये। वादी ने स्वयं का व गवाह प्रभुलाल व धन्नालाल के शपथ पत्र पेश किये।

हमारे द्वारा विद्वान अधिवक्ता वादीगण को एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता ने वादपत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया कि विवादित आराजी वादीगण के दादा घासीलाल को 8.8.71 पास बुक व मिसल नं. 317 दिनांक 30.9.1964 में 6 बीघा भूमि आंवटन किया गया है, तभी से 6 बीघा पर हम काबिज है। अप्रबन्ध 2022-2024 में 6 बीघा से साढे चार

क्रमशः...

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

बीघा रह गई। अतः राजस्व रिकार्ड में साढे चार बीघा गलत अंकित हुआ है को दुरस्त कर छः बीघा किया जावे व प्रतिवादीगण जो जबरन कब्जा करने पर आमदा है को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस को ध्यानपूर्वक सुना व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन व मनन किया। मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2064 से 2067 में वादीगण के खातेदारी में खसरा सं. 2652 रकबा 0.03 है, खसरा सं. 2653 रकबा 0.30 है, खसरा सं. 2657 रकबा 0.26 है, खसरा सं. 2660/2 रकबा 0.09 है, खसरा सं. 2662 रकबा 0.02 है. कुल किता 5 कुल रकबा 0.70 है खातेदारी दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल सन 1.4.1995 से 31.3.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त खसरा नं. के पूर्व खसरा नं. 638, 637 व 636 थे। वादीगण द्वारा वादपत्र में कथन किया है कि वादीगण के दादा घासीलाल को मिसल नं. 317 दिनांक 30.9.1964 में 6 बीघा भूमि आंवटित हुयी। मुताबिक जमाबंदी संवत् 2021 से 2024 घासी वल्द भूरालाल के खातेदारी में दर्ज खसरा सं. कुल किता 5 व रकबा 6 बीघा है। उक्त जमाबंदी में दर्ज खसरा सं. से वर्तमान जमाबंदी में कौनसे खसरा सं. बने इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः.

नही किया है। साथ ही मुताबिक नामान्तकरण सं. 685 नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम लाखेरी में न्यायालय ACEM बून्दी के आदेशानुसार ख.सं. 635/1 रकबा 6 बिस्वा को सिवायचक लगानी दर्ज किया गया इस सन्दर्भ में वाद पत्र में कोई कथन नही किया गया है। अतः प्रस्तुत वाद पत्र में वादीगण अपने कथनो को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने में सफल नही हुए। अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादपत्र खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15-11-17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

F.D. ड़िगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

व इजलास सुश्री गरिमा लाटा R.A.S.

1 रामगोपाल आत्मज सम्पतलाल जाति बैरवा निवासी चर्च के पास लाखेरी जिला बून्दी

वादीगण

बनाम (1) छोटूलाल आत्मज रामशीलाल जाति माली निवासी लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी

प्रतिवादीगण PTO

दावा बाबत 88, 188 R.T.A 136 LR Act

मुकदमा नम्बर 7/धारा/15 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री अब्दुल सत्तार एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग बाबत खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15-11-2017 माह सन को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर ओहदा उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

(2) रामदुलारी पुत्री सम्पतलाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी
(3) महाराज पुत्र सम्पतलाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी
(4) रणजीत कुमार पुत्र सम्पतलाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी
(5) दशरथलाल पुत्र किशोरीलाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी
(6) देवानन्द पुत्र किशोरीलाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी
(7) हरिप्रसाद पुत्र किशोरीलाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी
(8) राजेन्द्रप्रसाद पुत्र किशोरीलाल जाति बैरवा निवासी लाखेरी

वादीगण

बनाम

(2) फाचूलाल पुत्र ग्यारसीलाल जाति माली निवासी लाखेरी
(3) उदयभान पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत निवासी लाखेरी
(4) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

21-11-2017